

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 17/2025-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 669(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. संख्या 696(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(v) स्थानीय डिलीवरी देने के रूप में सेवाएं सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है।”।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से लागू होगी।

[फा.सं. 190341/188/2025-TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 17/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 696 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन सा.का.नि. संख्या 47(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 08/2025-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No.17/2025-Central Tax (Rate)

G.S.R. 669(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.17/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 696(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely: -

“(v) services by way of local delivery except where the person supplying such services through electronic commerce operator is liable for registration under sub section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd day of September 2025.

[F. No. 190341/188/2025-TRU]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: The principal notification No. 17/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 696 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 08/2025-Central Tax (Rate), dated 16th January, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 47(E), dated the 16th January, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 17/2025- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 670(अ).— एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. संख्या 689(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(v) स्थानीय डिलीवरी देने के रूप में सेवाएं सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के खंड (v) के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है।”।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से लागू होगी।

[फा.सं. 190341/188/2025-TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 14/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 689 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन सा.का.नि. संख्या 48(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 08/2025- एकीकृत कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No.17/2025- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 670(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 14/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 689(E) dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:-